...र्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

...ीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव
आर.ए.एस

...–पत्र संख्या :– 358/2013

...थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

...पुत्र भूरा कौम गुर्जर निवासी बामणवास तहसील विराटनगर जयपुर

अप्रार्थीगण

...प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4)

निर्णय

दिनांक 13.11.2018

...पत्रावली पेश हुयी । उभयपक्ष उपस्थित। सूक्षम वृतान्त इस प्रकार है कि यह प्रार्थना–पत्र ...ान जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 की ...4(4) का जिम्मन भांति पेश किया है।

... यह है कि आराजी खसरा नम्बर 1920, 2060 रकबा 0.27, 0.50 हैक्टर किस्म बारानी 3 वाके ग्राम बामनवास तहसील विराटनगर में स्थित है, जो कि अप्रार्थी की गैर खातेदारी में दर्ज है।

... यह है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 1920, 2060 आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी का आदिनांक तक कब्जा नहीं है।

... यह है कि आवंटनी ने आवंटन की शर्तों का नियमानुसार पालन नहीं किया है।

... यह है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 1920, 2060 रकबा 0.27, 0.50 किस्म बारानी 3 है, जो अप्रार्थी की गैर खातेदारी से निरस्त किये जाने योग्य है।

... यह है कि प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आवंटन नियम 1970 धारा 14(4) प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त आराजी ख.नं. 1920, 2060 रकबा 0.27, 0.50 किस्म बारानी 3 वाके ग्राम बामणवास तहसील विराटनगर में से अप्रार्थी का नाम हटाया जाकर उक्त आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

...प्रार्थना–पत्र तहसीलदार विराटनगर द्वारा पेश होने पर प्रकरण दर्ज कराया जाकर अप्रार्थी को नियमानुसार सूचित कर सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री मामराज अधिवक्ता उपस्थित आये।

...यह है कि अप्रार्थी माधो की ओर से श्री अजपाल गुर्जर अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश कर प्रार्थना–पत्र बाबत अति. जिला कलक्टर कोटपूतली के यहां अपील मु.नं. 244/2008 में पारित निर्णय दिनांक 24/9/2008 की क्रियान्विती हेतु वर्तमान में कब्जे की रिपोर्ट ...तलब कराने को पेश किया।

...यह है कि दिनांक 06/10/2015 को प्रार्थीगण कालू गिरधारी वगैरह जाति गुर्जर ...निवासी बामणवास तहसील विराटनगर द्वारा जरिये वकील प्रार्थना–पत्र में मुकदमा ...पक्षकार बनाये जाने का पेश किया गया जो बाद सुनवायी कर दिनांक 20/9/2016 को उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज किया ।

...यह है कि प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रकरण में दिनांक 23/5/2017 को ...ार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17 का पेश किया जिसे बाद सुनवायी कर दिनांक ...3/6/2017 को उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया गया साथ ही अप्रार्थी की ओर से ...ार्थना–पत्र आदेश 26 नियम 9 एवं आदेश नियम 18 नियम 18 सीपीसी का पेश होने ...र बाद सुनवायी कर स्वीकार किया जाकर मौका कमीशनर नियुक्त कर मौके की ...र्तमान स्थिति की रिपोर्ट मंगवायी गयी, जो दिनांक 23/10/2018 को पैरोकार ...

...। प्रार्थी सरकार तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का बडोदिया ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 17/01/2013 के द्वारा निवेदन कर अवगत कराया कि ग्राम बामणवास जमाबंदी सम्वत् 2066 से 2069 में खाता संख्या 202 में माधा पुत्र भूरा कौम गुर्जर सा. देह गैर खातेदार दर्ज है। आवंटन हुये उक्त भूमि 20 वर्ष से अधिक का समय हो गया है जो आज दिनांक तक कब्जा काश्त नहीं की गयी है। इसलिए आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत् कार्यवाही करावें । उक्त पटवार हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत अप्रार्थी का नाम हटवाया जाकर राजकीय भूमि सिवायचक कराने के आदेश प्रदान कराने बाबत श्रीमान् न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश किया तथा निवेदन किया है कि अप्रार्थी का कब्जा काश्त नहीं होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में नाम हटाया जाकर उक्त आराजी को राजकीय भूमि सिवायचक करने के आदेश फरमावें ।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी ने सभी आवंटन नियमन की शर्तों का पालन किया है तथा आवंटन/नियमन कमेटी के द्वारा विधिवत जब आवंटन/नियमन किया गया है इसी अनुसार ही इसकी गैर खातेदारी भी दर्ज की जा चुकी है। इसके बाद से उक्त नियमन/आवंटनशुदा भूमि पर काबिज रह कर अप्रार्थी काश्त करता चला आ रहा है व सभी शर्तों की पालना की है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण संख्या 44 वाके ग्राम बडोदिया का दिनांक 08/6/86 को कॉलम संख्या ... में नामान्तरकरण संख्या 202 दिनांक 12/5/73 गैर खातेदारी से 10 वर्ष पूर्ण होने ... आवंटी शर्तों की पालना करली है तथा मौके पर कब्जा है। खातेदारी का नामान्तरकरण भरा गया, जिसको बिना जाँच किये ही नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा खारिज कर दिया। उक्त खातेदारी नामान्तरकरण संख्या 44 खारिज होने पर इसके विरूद्ध श्रीमान् न्यायालय के यहां अपील मुकदमा नं. 244/2008 पेश की गयी श्रीमान् के न्यायालय द्वारा दिनांक 24/9/2008 के द्वारा नायब तहसीलदार विराटनगर के आदेश ... खारिज करते हुए आदेश दिये गये थे कि जांच पडताल कर यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो तो तथा मौके पर काश्त है या नहीं सुनिश्चित् कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम अमलदरामद किया जावें। उक्त आदेश की तहसीलदार विराटनगर द्वारा नियमानुसार बिना पालना किये तथा बिना जांच पडताल ... ही प्रार्थी/अप्रार्थी को गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान नहीं कर दिनांक .../6/2013 को न्यायालय श्रीमान् के समक्ष उक्त भूमि को राजकीय भूमि सिवायचक ... के लिए प्रार्थना–पत्र पेश कर दिया जो सरासर गलत एवं विधि विरूद्ध है, जबकि ... से ही उक्त भूमि पर 50 वर्षों से अप्रार्थी काबिज काश्त है। आज भी मौके पर ... काश्त है जो वर्तमान मौके की रिपोर्ट दिनांक 23/10/2018 से साबित है तथा ... काश्त बाबत अप्रार्थी के नाम से गिरदावरिया है सम्वत् 2054–56 व 2070 जो पेश ... इसके अलावा जिन वर्षो अकाल ग्रस्त घोषित किया है। उन वर्षों को छोडकर शेष ... में लगातार कब्जे के आधार पर अतिक्रमण को परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व विभाग क्रमांक प–६/7/राज/4/77/राज–6/15 जयपुर दिनांक 30/11/92 ...हत नियमन किया जा सकता है। उक्त परिपत्र आदेश संलग्न है। अतः .../अप्रार्थी का उक्त भूमि पर शुरू से कब्जा काश्त होने से प्रार्थी तहसीलदार ...नगर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र खारिज फरमावें तथा अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ...फरमायी जाकर खातेदारी दर्ज करने के आदेश फरमावें।

उभय पक्षों की बहस सुनी तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया वकील उभय ... द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया जो विवेचन पर पाया कि .../नियमन/कमेटी द्वारा विधिवत निमयन/आवंटन किये जाने पर अप्रार्थी को ... नियमन किया है। राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन से राजस्व रिकॉर्ड में ग्राम ...स ख.नं. 1920 रकबा 0.27 हैक्टर व खसरा नम्बर 2060 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म ...3 माधो पुत्र भूरा गुर्जर निवासी बामणवास के नाम से गैर खातेदारी मुताबिक ... सम्वत् 2054–2065 व सम्वत् 2070 से दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी को .../आवंटन आवंटन कमेटी द्वारा दिनांक 12/5/73 को हुआ था जिसमें 10 वर्ष ... पर पटवारी हल्का ने अप्रार्थी द्वारा आवंटन नियमन की पूर्ण शर्तों की पालना ...र नामान्तरकरण संख्या 44 दिनांक 8/6/86 को भरा है जिसको नायब ...दार विराटनगर द्वारा दिनांक 26/6/86 को खारिज किया गया है। उक्त ... हुए नामान्तरकरण के विरूद्ध अप्रार्थी ने न्यायालय हाजा में अपील मु.नं. ...08 माधो बनाम राज. सरकार पेश हुयी जिसमें इस न्यायालय द्वारा ...

24/9/2008 के द्वारा नायब तहसीलदार विराटनगर के आदेश 26/6/86 को खारिज करते हुए आदेश दिये गये थे कि जांच पडताल कर यदि किसी दीगर न्यायालय का स्थगन आदि नहीं हो तो तथा मौके पर काश्त है या नहीं सुनिश्चित् कर राजस्व रिकॉर्ड में अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावें। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि श्रीमान् न्यायालय के आदेश की पालना किये बिना महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार बिना जांच पडताल किये बिना काश्त की रिपोर्ट लिए ही तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक 27/6/2013 को अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन/नियमन 1970 के तहत् कार्यवाही करवाने बाबत अप्रार्थी की गैर खातेदारी दर्ज होने तथा लगातार काश्त करने के उपरान्त भी अप्रार्थी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम हटवाया जाने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया है, जो विधि विरूद्व है। जबकि अप्रार्थी का लगभग 50 वर्षों से उक्त भूमि पर कब्जा काश्त रहा है। प्रस्तुत फर्द मौका रिपार्ट दिनांक 22/10/2018 के मुताबिक ग्राम बामणवास ख.नं. 1920 रकबा 0.27, 2060 रकबा 0.50 है किस्म बारानी 3 अप्रार्थी के नाम से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त ख.नं. 1920, 2060 में मौके पर ग्रेवल सडक व पानी के बहाव में 0.17 हैक्टर भूमि आती है। ख.नं. 1920 में 0.03 हैक्टर ग्रेवल सडक है तथा ख.नं. 2060 में 0.20 हैक्टर भूमि खाली होना अवगत कराया है। शेष भूमि गैर खातेदार के कब्जे काश्त में है। उक्त ग्रेवल सडक आवंटन नियमन के बाद बनायी जाना वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया है, जिसकी सहमति भी अप्रार्थी द्वारा दिया जाना जाहिर किया है। अप्रार्थी द्वारा कब्जे काश्त बाबत सम्वत् 2054–2065 व सम्वत् 2070 तक गिरदावरिया पेश की तथा इसके अलावा जिन वर्षों को अकाल घोषित किया है उक्त वर्षों को छोडने बाबत राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र राजस्व ग्रुप 6 विभाग क्रमांक ~~4~~–6/7/राज/4/77/राज–6/15 दिनांक 30/11/92 के तहत् नियमन करने के आदेश बाबत परिपत्र पेश किया है। अप्रार्थी का कब्जा काश्त होना पाया जाता है। कब्जे काश्त के आधार पर ही अप्रार्थी की गैर खातेदारी दर्ज है तथा वर्तमान फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 22/10/2018 के मुताबिक उक्त खसरा नम्बरान् में कब्जा काश्त ही इसलिए अप्रार्थी को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर द्वारा नियमन/आवंटन निरस्तीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार विराटनगर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बामणवास के आ. ख.नं. 1920 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.नं. 2060 रकबा 0.50 हैक्टर किस्म बारानी जो अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी दर्ज है। इन्हें गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करावें तथा राजस्व रिकॉर्ड में अप्रार्थी के नाम से खातेदारी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। लैण्ड होल्डर तहसीलदार (भू.अ.) विराटनगर को आदेशों की पालना हेतु तहरीर जारी हो। निर्णय आज दिनांक 13.11.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)